Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 446/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– हीराराम पुत्र सांवताराम 2– शंभूराम पुत्र सांवताराम 3– बाबुराम पुत्र सांवताराम 4– गोरधनराम पुत्र फुसाराम सभी जाति विश्नोई 5– पप्पुराम पुत्र गोपूराम 6– हीराराम पुत्र गोपूराम 7– घेवरराम पुत्र गोपूराम 8– रमेश पुत्र गोपूराम 9– घेवरराम पुत्र राणाराम 10–गोमदराम पुत्र राणाराम जातियान सुथार निवासीगण चिकनी नाडी उर्फ चन्दनपुर तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– पांचाराम पुत्र सांवताराम 2– करनाराम पुत्र सांवताराम जातियान विश्नोई 3– किसनाराम पुत्र पेमाराम 4– बाबुराम पुत्र पेमाराम 5– देदूराम पुत्र पेमाराम सभी जातियान सुथार निवासीगण चिकनी नाडी उर्फ चन्दनपुर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 6– तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/ निर्णय दिनांक 4–7–2018 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री पूनाराम विश्नोइ अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री किशोर सिह अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।
5– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

patelement

निर्णय

दिनांक 12–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 6 तहसीलदार लोहावट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष रास्ते संबंधी समस्याओ का निराकरण अभियान– 2018 के तहत प्रस्ताव प्रेषित कर ग्राम चिकनी नाडी उर्फ चन्दनपुर पटवार मण्डल दयाकोर तहसील लोहावट के खसरा नंबर 685, 685/1, 683, 685/2, 678, 679/1 की भूमि किस्म बी चतुर्थ मे से कुल 3.07 बीघा भूमि मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के रूप मे उपयोग हो रही है उक्त भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता घोषित कर नक्शा (लट्ठा) ट्रेस मे दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 व राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत तहसीलदार लोहावट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव मे अंकित ग्राम चिकनी नाडी उर्फ चन्दनपुर पटवार मण्डल दयाकोर तहसील लोहावट के खसरा नंबर 685, 685/1, 683, 685/2, 678, 679/1 की भूमि किस्म बी चतुर्थ मे से कुल 3.07 बीघा भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस मे दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद

Remove Watermark Now

करने संबंधी आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/ 627–630 दिनांक 4–7–2018 के द्वारा पारित कर दिये । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे वर्णित ग्राम मौजा चिकनी नाडी उर्फ चन्दनपुर की जिस 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि की किस्म बी चतुर्थ के स्थान पर गै0मु0रास्ता दर्ज की है वहां वक्त सेटलमेंट से कोई रास्ता नही जाता था तथा न ही मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध था तथा उक्त रास्ते के संबंध मे किसी भी खातेदार ने रास्ते संबंधी कोई उजरदारी आज दिन तक राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत नही की न ही किसी भी खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रास्ते संबंधी समस्याओं के समाधान के संबंध मे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधान अनुसार किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज की जायेगी तथा खातेदार को नियम 58(3) के अनुसार किये गये दोरे की रिपोर्ट तथा पी0 33 की प्रति सम्मन द्वारा दी जायेगी जबकि उक्त प्रावधानो की पालना किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार लोहावट ने कोई प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष रास्ते के अंकन के लिए प्रस्तुत नही किया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रभावित खातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे नोटिस ही दिये गये और न ही उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि पटवारी, निरीक्षक भू अभिलेख द्वारा मौके की तैयार की गई मौका रिपोर्ट खातेदारान एवं मौतबिरान की अनुपस्थिति मे तैयार की तथा पटवारी हल्का ने मौके सही जांच भी नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 पांचाराम को रास्ता देने की मंशा अनुसार पटवारी हल्का ने मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत बनाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की जिसको सही मानते हुए पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

pdfelement

Remove Watermark Now

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन खसरा नबंर 678 की 53 बीघा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसका कोई आपसी विधिवत बंटवाडा नही हुआ था फिर भी आपसी भाई बंटवाडा बताते हुए तथा मौके पर सहखातेदारो का अलग–अलग कब्जा बताते हुए सहखातेदारी की भूमि मे से रास्ता दर्शा दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट एवं नक्शे मे तरमीम बताते हुए बिना खातेदारान/पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4–7–2018 को निरस्त करने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मौके की जांच एवं पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 गण संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के दौरान तहसीलदार लोहावट ने राज्य सरकार के रास्ते संबंधी जारी परिपत्र के अनुसरण मे अपीलाधीन आदेश मे वर्णित खसरा नंबरान मे से चल रहे रास्तो का उपयोग ग्रामवासियो द्वारा अपने खेतो मे आने जाने के हेतु लिया जा रहा था परंतु उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे नही होने से जनहित मे उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने हेतु विधिवत प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित करने पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है,वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

pdfelement

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि खसरा नंबर 678 की 53 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी की नही होकर बंटवाडे के नियमित वाद के जरिये अलग अलग खातेदारो के नाम दर्ज हुई तथा बंटवाडे के अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम भी हो चुकी है जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व से ही है तथा उक्त बंटवाडे आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे अपील विचाराधीन है जिसमे अपीलांट अधिवक्ता ही पैरोकारी कर रहे है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राज्य सरकार के सर्कुलर के तहत पारित किया गया है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से खातेदारो के खातेदारी अधिकार समाप्त नही हुए है, केवल भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज की गई है । अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया । राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्ते

Remove Watermark Now

संबंधी समस्याओं के समाधान शिविर के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट द्वारा गै.मु.रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि के प्रस्ताव जिन पर मौके पर कदीमी रास्ता चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही होने से उनका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवाने हेतु निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 व राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत तहसीलदार लोहावट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव मे अंकित ग्राम चिकनी नाडी उर्फ चन्दनपुर पटवार मण्डल दयाकोर तहसील लोहावट के खसरा नंबर 685, 685/1, 683, 685/2, 678, 679/1 की भूमि किस्म बी चतुर्थ मे से कुल 3.07 बीघा भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस मे दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने संबंधी जो अपीलाधीन आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/ 627–630 दिनांक 4–7–2018 के द्वारा पारित किया है, जो विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा तो खातेदारो के नाम ही राजस्व रेकर्ड मे यथावत दर्ज रहेगा, मात्र प्रस्तावित भूमि जो पूर्व से ही रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही थी उसके रकबे की किस्म खातेदारी से गै.मु.रास्ता के रूप मे दर्ज करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–7–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

pdfelement

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.20 14:22:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: